

20-6-16

राज्य लोक न्याय आयोग के तहत उपपक्षों को सुनवाई हेतु नोटिस जारी होने के बाद पत्रावली का राजस्थान लोक न्याय आयोग सेना से उपपक्षों पर पेश हुई। वारीपा के वकील उषा प्रतिवारीणा, प. क. उषा उषा पक्ष में सुना गया। प्रतिवारीणा ने भी कथन किया कि वारीपा पक्ष जयपुर राजस्थान के लोक न्याय आयोग के अधीन है यदि प्रतिवारीणा को कोई आपत्ति है तो वह लोक न्याय आयोग में राजस्थान विरुद्ध करवाने का कार्यवाही करे। प्रतिवारीणा को दफ्तर-2 के जिम्मे जयपुर न्याय निपेधाक्षर से पत्रावली भिजा जाता है। वारीपा के खतरेदारी व कार्य करने की मर्यादा खतरे 157 खतरे 1-65 है कि किसी प्रकार 157 खतरे (1-65) नहीं है। पत्रावली जारी हो पत्रावली में लोक न्याय आयोग के अधीन है कि वह लोक न्याय आयोग के अधीन है।